संख्या-53/2018/2888/22-2-2017-17(444)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 16 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगदीश सिंह पुत्र श्री नारायन सिंह, निवासी जनपद-कन्नौज की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-39056/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-02.05.2017) दिनांक 30.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगदीश सिंह पुत्र श्री नारायन सिंह, जो जयसिंहपुरवा मजरा रजलामऊ, थाना-गुरूसहायगंज, जनपद- कन्नौज का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23-04-1977 को दोपहर लगभग 12.30 बजे लाठी, डण्डों से पीटकर बाबू सिंह, देवपाल सिंह एवं रामबीर सिंह नामक 03 व्यक्तियों की हत्या की है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-53/1971 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147 के अन्तर्गत प्रथम मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 12.03.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19-05-1991 द्वारा दोषमुक्त किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.9.1995 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक 21 वर्ष 08 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 28 वर्ष 11 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त रिहा हो चुके हैं, 02 सहअभियुक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय से अपील निस्तारणोंपरान्त कारागार में दाखिल नहीं हुए, 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने पुरीनी रंजिश में 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23-04-1977 को दोपहर लगभग 12.30 बजे लाठी, डण्डों से पीटकरबाबू सिंह, देवपाल सिंह एवं रामबीर सिंह नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करनें में अशक्त न होने, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्यां में की है। जेल रिपोट के अनुसार बंदी की शारारिक मानसिक स्थिति सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अपेन्डिक्स- बी में दोनों पक्षों के मध्य रंजिश होने, बदले की भावना से अप्रिय घटना से इन्कार न करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता,जघन्यता, अपराध करने में अशक्त न होने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जगदीश सिंह पुत्र श्री नारायन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जगदीश सिंह (बन्दी संख्या-8965) पुत्र श्री नारायन सिंह, निवासी जनपद-कन्नौज के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-53/2018/2888(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-53/2018/2888/22-2-2017-17(444)/2017

दिनांक 16 जनवरी, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगदीश सिंह पुत्र श्री नारायन सिंह, जो जयसिंहपुरवा मजरा रजलामऊ, थाना-गुरूसहायगंज, जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23-04-1977 को दोपहर लगभग 12.30 बजे लाठी, डण्डों से पीटकर बाबू सिंह, देवपाल सिंह एवं रामबीर सिंह नामक 03 व्यक्तियों की हत्या की है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-53/1971 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147 के अन्तर्गत प्रथम मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 12.03.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19-05-1991 द्वारा दोषमुक्त किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.9.1995 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक 21 वर्ष 08 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 28 वर्ष 11 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त रिहा हो चुके हैं, 02 सहअभियुक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय से अपील निस्तारणोंपरान्त कारागार में दाखिल नहीं हुए, 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने पुरीनी रंजिश में 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23-04-1977 को दोपहर लगभग 12.30 बजे लाठी, डण्डों से पीटकरबाबू सिंह, देवपाल सिंह एवं रामबीर सिंह नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करनें में अशक्त न होने, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्यां में की है। जेल रिपोट के अनुसार बंदी की शारारिक मानसिक स्थिति सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अपेन्डिक्स-बी में दोनों पक्षों के मध्य रंजिश होने, बदले की भावना से अप्रिय घटना से इन्कार न करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, अपराध करने में अशक्त न होने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जगदीश सिंह पुत्र श्री नारायन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in